बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

सं0रां0–9/आ–9–02/2017

अधिसूचना

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दनियावाँ में जी0 पी0 एफ0 मद से अवैध निकासी के आरोप में डा0 विनोद शंकर प्रसाद, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दनियावाँ, पटना सम्प्रति निलंबित को दनियाँवा थाना कांड सं0 67/2015 के क्रम में दिनांक–22.09.2016 को पुलिस हिरासत में लिये जाने के कारण अधिसूचना सं0–641(9), दिनांक–16.06.2016 के द्वारा निलम्बित किया गया।

2. डा0 प्रसाद के कारा मुक्त होने की तिथि–30.01.2017 को निलम्बन से मुक्त किया गया, परन्तु, जी0 पी0 एफ0 घोटाले में संलिप्त होने के कारण इन्हें पुनः दिनांक–29.06.2017 के प्रभाव से विभागीय अधिसूचना सं0–697(9), दिनांक–29.06.2017 के द्वारा निलम्बित किया गया। विभागीय संकल्प सं0–130(9), दिनांक–19.02.2018 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

3. डा0 प्रसाद पर आरोप है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दनियावाँ में पदस्थापित रहते हुए दिनांक–12.01.2013 से 17.04.2013 तक विभिन्न चेक द्वारा 19,35,725/– (उनीस लाख पैतीस हजार सात सौ पचीस) रूपये की अनियमित निकासी की गई, जिसका भुगतान संबंधितों को नहीं किया गया। साथ ही जी0 पी0 एफ0 मद की राशि से संबंधित सक्षम पदाधिकारी का स्वीकृत्यादेश भी प्राप्त नहीं किया गया तथा बिलकुल ही अनियमित एवं फर्जी तरीके से व्यक्तिगत लाभ के लिए राशि की निकासी की गई।

4. संचालन पदाधिकारी ने आरोप को प्रमाणित नहीं बताया। दिनांक 07.09.2018 को समर्पित अपने अभ्यावेदन में डा0 प्रसाद ने निलम्बन से मुक्त करने का अनुरोध करते हुए कहा है कि अवैध जी0पी0एफ0 की निकासी उनके कार्यकाल में नहीं हुई है। प्रभार सौंपने के पश्चात् लिपिक, श्री सुमन कान्त सिन्हा के द्वारा मेरा जाली हस्ताक्षर कर राशि की निकासी की गई है। राशि की निकासी कर मेरे निजी खाते में नहीं जमा किया गया है। यह राशि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दनियावाँ के सरकारी खाते, लिपिक, श्री सुमन कान्त सिन्हा एवं उसकी माँ, श्रीमती गायत्री देवी के निजी खाते में डाला गया है। वित्त विभाग के अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी मेरे ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, साथ ही उन्होनें उल्लेख किया है कि वे दिनांक 31.7.2019 को सेवानिवृत हो रहे है। विभागीय समीक्षा में संचालन पदाधिकारी का प्रतिवेदन संतोषप्रद नहीं पाते हुए असहमति के बिन्दुओं के संबंध में डा0 प्रसाद से द्वितीय कारणपृच्छा करने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

5. संपूर्ण मामले की विभागीय स्तर पर सम्यक समीक्षोपरांत सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से डा0 विनोद शंकर प्रसाद को तत्काल प्रभाव से निलंबनमुक्त किया जाता है। उनसे कारणपृच्छा कर बचाव का अवसर देते हुए उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर निलंबन अवधि का विनिश्चयन किया जाएगा।

6. निलंबनमुक्ति के उपरांत डा0 प्रसाद अविलंब स्थापना शाखा, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना में योगदान करेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(विवेकानन्द ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः 7609 (9) /स्वा0, पटना , दिनांकः 17/7/2019

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले एवं0 ह0) बिहार पटना / प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/अररिया/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें पूर्णियां प्रमंडल पूर्णियां/सिविल सर्जन पटना/अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– डा0 विनोद शंकर प्रसाद, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दनियावाँ, पटना सम्प्रति (निलंबित) अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 5, 7, 8, एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0 टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

17/7/2019

सरकार के अवर सचिव